

2017/00031

26/4/17

मूल कांड डि० 15/1/2020

मूल्यांकन नं०-24/14/2017

12/1/17

राजस्थान सरकार

ता.पेकी स्टज

(कायदा - 129)

बी३(७)

24/7/17

27/9/17

(100) 16/1/18

10/4/18

15/5/18

~~24/6/18~~

27/8/18

6/11/18

आदेश 13/2/19

10/6/19

24/7/19

देश 15/10/19

Dis:

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

कि. नं. मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख दायर 3	तारिख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
212 RTI शांभु	6/17	31/1/17	2/2/19 फैसला फैसला	

अनवान

श्री. मु० गोपी पुत्री श्री. श्यामल देवी w/o हरनाथ शर्मा

नाथ शर्मा

निवासी मुकनागढ़ वार्ड (3) निवासी श्री. कालू वार्ड (6)

श्री. संजय लाल
आधेवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त
श्री. हरिश (सहाय)

आधेवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिफेंडेंट

रेस्पॉन्डेंट / मदयतान

श्री.....श्री.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए।
02/12/19	<p>पतावली मेश हुंडे। उन्धिलवता प्राथी उमरुवेत। लडस सुनी गयी। प्राथना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है। पतावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पुनश्चः निर्वाच पृथक से लिखवाया जाकर सुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिस पतावली किया गया। पतावली मूल वाद के साथ नतीही हो।</p> <p style="text-align: right;">/</p>	